[Shri Frak Anthony]

it by judicial interpretation, not by an assault on the Constitution. They are adapting legislation to the needs of labour, to the needs of workmen.

What I am afraid of is this. Why did the Supreme Court bring in this judgment? They also do not function in a vacuum. They also take note of the milieu and they have taken note of the fact that today with instability, with growing violence, with the vicious revivalist movement, they do not dare remit the fundamental rights, and even more so the minority rights, to a bare majority of people where passions, prejudices and the vicious doctrines of revivalism may destroy the minorities.

My earnest plea, particularly to the Members of Parliament who have their conditioning by Jawaharlal Nehru specially, is this. These rights were given to us by men with vision, men with imagination, men with a sense of liberalism. All these qualities are now receding. They gave them to us because they knew that the minorities, permanent minorities, should live with self-respect. Now you give this power to this House by one vote to take away our rights. Immediately, articles 25, 26, 29 and 30 will be eliminated. Today we face helotry; tomorrow we will face death.

17.37 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Provision of Civic Amenities to unauthorised Colonies in Delhi

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) ; माननीय स्पीकर साहब, दिल्ली शहर हमारे देश की आन, बान और शान है। यह देश का तारीखी कस्बा है और बड़ी शानदार इस की तारीफ रही है। एक शायर ने तो दिल्ली की बाबत कहा है कि :

"क्या हाल पूछते पूरब के साकिनों,
हमको गरीब जान के, हंस-हंस पुकार के,
दिल्ली जो शहर था आलमे इन्तखाब,
हम हैं रहने वाले उसी उजड़े दयार के।"

और फिर शायर से पूछा कि दिल्ली से बाहर जाना चाहोगे तो उसने जवाब दिया :

"कौन जाये दिल्ली की गलियां छोड़ कर।"

इस शहर में जहां इतनी तरक्की है, तमद्दुन है, इतना खर्च होता है, जहां इस दिल्ली में एक और राष्ट्रपति भवन है, इण्डिया गेट है, कनाट सर्कस है, नई दिल्ली, चानक्यपुरी, और चांदनी चौक है, लाल किला है, राजघाट है, वहीं इस दिल्ली में छः लाख आदमी मवेशियों की जिंदगी, कीड़े-मकोड़ों की जिंदगी बसर करते हैं। 203 बस्तियां इस दिल्ली में हैं जिसमें से 113 बस्तितों में लोग हरिजनों की हालत में गरीबी की जिन्दगी गुजार रहे हैं। जैसे गाँव में उजड़े हुए झोंपड़े वाले लोग बाहर गांव में डाल दिये जाते हैं वही उनकी हालत है। दिल्ली के नाम पर यह कलंक है। 113 बस्तियों में जो छः लाख लोग बसते हैं वह हैं कौन लोग ? वह छोटी तनख्वाह वाले मुलाजिम हैं। वह बड़े अफसर नहीं हैं। वहां वजीर लोग नहीं रहते है, लीडर नहीं रहते हैं, आई० सी० एस०, आई० एफ० एस०, इंजीनियर, चीफ इन्जीनियर, डायरेक्टर नहीं रहते हैं। वहां छोटे मुलाजिम रहते हैं, छोटी तनख्वाह वाले मजदूर रहते हैं, छोटे दुकानदार रहते हैं, गरीब हरिजन रहते हैं, या वह तबका जो पिछड़ा तबका है, जो पसमांदा तबका है, वह रहता है। और दिल्ली में रहने वाला कमाऊ पूत है, खाऊ नहीं, यह पार्लियामेंट जिसने बनाई और नई दिल्ली जिसने बनाई, बदकिस्मती है कि वह बनाने वाले यहां नहीं रहते हैं, वे फेंक दिये गये हैं, उनकी बुरी हालत है।

17.39 hrs.

(Shri Thirumala Rao *in the Chair*)

चेयरमैन महोदय, मैं उन लोगों के लिए बात करने चला हूं।

न उन बस्तियों में बिजली का बन्दोबस्त है, न ड्रेनेज का बन्दोबस्त है और न स्ट्रीट

लाइटिंग का बन्दोबस्त है। न ही वहां पर पब्लिक लैट्रिन्ज हैं। रीडिंग रूम, चिल्ड्रन पार्क वगैरह का सवाल ही नहीं पैदा होता है। न वहां पर सड़कें है और न वहां पर स्कूल हैं। आप उस हिस्से का मुकाबला बाकी दिल्ली से कीजिये, नई दिल्ली से कीजिए। नई दिल्ली तो एक प्रिविलेज्ड क्लास बन गई है, अपर क्लास तबका बन गया है।

वे जो छः लाख आदमी हैं, वे सेण्ट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाईज हैं, रेलवे के इम्पलाइज हैं या मास्टर और मजदूर तबके के हैं, जो कि इस गवर्नमेंट का सुबह से शाम तक काम करने वाले हैं और इस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली की हुकूमत को 95 फीसदी चलाने वाले हैं। उन में पार्लियामेंट और कई दूसरी जगहों पर काम करने वाले भी हैं। बिजली के बजाये उनके यहां दिया जलाया जाता है, जब कि यहां की हालत यह है कि एक-एक कोठी में हजार-हजार रुपये माहवार बिजली पर खर्च होता है। आप शाम को सड़कों पर निकल जाइये, तो वहां दिन से ज्यादा रोशनी होती है। यहां एक-एक फर्लांग की चौड़ी सड़कें हैं, जबकि वहां सड़कों का नाम नहीं है। इस गरीब हिंदुस्तान के इस शहर की यह हालत है। इसका मुकाबला कीजिए आप नांगलोई और दूसरी कालोनीज से, जिनकी तादाद 113 है। (व्यवधान) चेयरमैन महोदय, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं, इन्हीं की बदौलत यह सब हुआ है। अब ये कहते हैं कि यह सेण्टर की बात है। इन लोगों ने लोगों से वोट लिये, दिल्ली के मालिक बन कर बैठ गए, और पार्लियामेंट की बैंचिज पर जम गए और यहां की नब्बे फीसदी सीटें ले गए। इसलिये मैं इनसे भी पूछता हूं कि इन्होंने उन लोगों के लिए क्या किया। माननीय सदस्य, श्री कंवर लाल गुप्त, की हूप्ले रोड पर जो कोठी नम्बर 7 है, वैसी शानदार कोठी तो किसी वजीर की भी नहीं होगी। श्री बलराज मधोक और श्री कंवर लाल गुप्त वगैरह ये जो लोग हैं, वोट लेने के बाद इन्होंने जनता के लिये कोई काम नहीं किया है। इनको तो जेल में बन्द कर देना चाहिये।

जिन छः लाख लोगों का अभी मैंने जिक्र किया है, उनके लिए इन बस्तियों पर तीसरी योजना में 705 लाख रुपया खर्च होना था। और पहले साल में वहां पर दो हजार के करीब टेनेमेंट्स बनाए जाने थे। मैं चाहता हूं कि इस का हिसाब बताया जाये। वहां पर 16,000 के करीब टू-रूम्ड हाउसिज बनने थे, जिन पर पांच हजार रुपये के हिसाब से खर्च किया जाना था। इसके लिए एक हजार एकड़ जमीन का बन्दोबस्त होना था। इन छः लाख लोगों की रिहायश के लिये यह सब बन्दोबस्त होना था। (व्यवधान) मेरे दोस्त पूछते हैं कि कहां तो मैं उन्हें बताता हूं कि अमृतकौर पुरी, दौजाना हाउस, दिल्ली-शाहदरा इंडस्ट्रियल एरिया, नजफगढ़, गूदड़ बस्ती, और बाग अम्बा और बाकी दूसरी जगहें हैं, जहां कि गवर्नमेंट को कालोनीज बना कर, एपरूव करके, वहां पर सैनिटरी एमिनिटीज का बन्दोबस्त करना था।

मैं यह जानना चाहता हूं कि तीसरी योजना में यह जो 705 लाख रुपये की स्कीम थी, जिसके मातहत स्लम क्लीयरेंस करके झुग्गी झोंपड़ी वालों को बसाया जाना था, उसके बारे में किया गया है, उसमें कितनी तरक्की हुई है। स्लम-ड्वैलर्ज के लिए करीब 1,25,000 मकान बनाने थे। जैसा कि मुझे बताया गया है, इनकी स्कीम हर साल दो हजार मकान बनाने की है। अगर यह काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो इसके पूरा होने में 62 साल लग जायेंगे। (व्यवधान) इस जिम्मेवारी से ये लोग भी नहीं बच सकते हैं। बल्कि इसके लिए उन की जिम्मेदारी ज्यादा है और इसका सारा कलंक उनके सिर पर है। (व्यवधान)

मैं श्री मधोक जी से भी जानना चाहूंगा कि स्लम ड्वैलर्ज के लिए जो 1,25,000 मकान बनने थे, उन की क्या प्राग्रेस है।

[श्री रणधीर सिंह]

पब्लिक लैंड्ज पर जो 44,000 स्क्वैटर्ज हैं, उनके लिए 383 लाख रुपये की स्कीम बनी थी। उसके बारे में भी पता नहीं है कि आज तक क्या हुआ है। स्वर्गीय पंडित जी ने यह बात कही थी। फिर शास्त्री जी जब होम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी यह बात आई थी कि इन स्क्वैटर्ज का बन्दोवस्त किया जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उनमें से सब लोगों को जगह मिली या नहीं।

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : The half-an-hour discussion is on unauthorised colonies. I would like the hon. Member to deal with them, I would also request the Minister to deal with them. The hon. Member is talking of other things. He does not know anything about the problem.

श्री रणधीर सिंह : मैं तो छः लाख आदमियों की बात कर रहा हूं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : He isa foolish lawyer.

श्री रणधीर सिंह : चूंकि यह बात इन लोगों के ही खिलाफ जाती है, इस लिए ये ऐसा कह रहे हैं। श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने अपनी स्पीचिज में, जिनकी कटिंग्ज मेरे पास मौजूद हैं, वादा किया था कि हम इनको एपरुवल देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह भी इस का जवाब दें।

MR. CHAIRMAN : Please conclude. This is only half-an-hour discussion. It should be concluded within half an hour. You have taken much time. You put your question. Then, the hon. Minister will reply. After that, the other Members will put questions.

श्री रणधीर सिंह : मैं खत्म कर रहा हूँ।

मेरे फाजिल दोस्त इस लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यह बात उनके खिलाफ जाती है। चूंकि मैं उनकी पोल खोल कर रहा हूँ, इसलिए वे कहते हैं कि मैं वकील ठीक नहीं हूँ। इनके लिए तो मैं बहुत अच्छा वकील हूँ और दोनों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ।

इन 113 कालोनीज के लोगों को बार-बार धोखा दे कर मुख्तलिफ पार्टीज ने उनके वोट लिये हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि इन सब ने उन लोगों के लिए क्या किया है। न सिर्फ स्टेट्समैन और हिन्दु जैसे हिन्दुस्तान के अखबारों, बल्कि बाहर रूस के अखबारों तक में हिन्दुस्तान की इन कालोनीज और उनकी सिविक एमिनिटीज को ले कर जिक्र हुआ है, जिससे न सिर्फ दिल्ली की बदनामी हुई है या गवर्नमेंट की बदनामी हुई है, बल्कि सारे के सारे देश की बदनामी हुई है। इस लिए मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि इन 113 कालोमीज में जो छः लाख आदमी रह रहे हैं, इनको वह कब तक एपरुवल दे देंगे, और इस बारे में उनके सामने क्या डिफीकल्टीज हैं और उन्हें कितना रुपया चाहिए। आप कहते हैं कि कुछ लोगों ने गैर-कानूनी मकान बना लिये हैं। अगर बना लिए हैं, तो लेट वि ला टेक इट्स ओन कोर्स। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कितने दिनों में आप इन कालोनीज को एपरूवल दे देंगे और उन में सब एमिनिटीज का बन्दोबस्त कर देंगे। (व्यवधान)

दर असल दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन, डी० डी० ए० और सेंट्रल गवर्नमेंट इन में कुछ आपस में झगड़ा है। आज हो यह रहा है कि डी० डी० ए० जो काम हो उसे दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन पर थोप देता है और दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐप्रूव नहीं करती है हम क्या करें। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप इस मामले में पिन-डाउन कीजिये कि इस काम को अंजाम देने की किस की जिम्मेवारी है। अब अगर डी० डी० ए० को डेवेलपमेंट के लिए कुछ बेटरमेंट सैस लगाने का अख्त्यार कारपोरेशन को नहीं है इस बात को आप मानते हैं तो अगर कारपोरेशन

को अख्तयार चाहिएं तो वह उसके लिए अपने ऐक्ट में अमेंडमेंट लायें। अब सैंटर की अगर जिम्मेवारी है तो हाउस में सैंटर की जिम्मेदारी बतलाई जाये और वह उसे पूरा करे। कारपोरेशन की तरफ से कोई कमी हो तो उसे बतलाया जाये। अगर डी० डी० ए० रास्ते में कोई अड़चन डालता है तो वह भी बतलायें। सवाल सिर्फ यह है कि जो बेसिस एमिनेटीज हैं यह कितने दिन तक उनको मिल सकेगीं? जहां तक रोड्स का सवाल है, जहां तक बिजली का सवाल है, पानी का सवाल है या नालियों आदि का सवाल है, या पढ़ाई और ट्रांसपोर्ट आदि व्यवस्था का सवाल है, यह आवश्यक सुविधाएं जो कि आज ग्राम गांवों तक में लोगों को सुलभ हैं और वह सुविधाएं इन बस्तियों में नहीं मिल रही हैं तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि कितनी अवधि में आप यह सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा सकेंगे?

अन्त में मैं सभापति महोदय आपकी आज्ञा से केवल एक मिनट में मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहूँगा कि :......

MR. CHRIRMAN: The hon. Member should conclude now. He has already taken about 20 minuts. It is the others who will ultimately suffer. He should conclude now.

श्री रणधीर सिंह : मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इन बातों का जवाब दें। वह एक हद मुकर्रर करें कि कितना रुपया उनको चाहिए और कितने दिन में उन बस्तियों के लोगों को वह यह नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे? मैं चाहता हूँ कि ज्यादा देर तक यह जो एथारिटीज में इस काम की जिम्मेदारी को लेकर झगड़ा चल रहा है वह खत्म हो ज्यादा देर तक यह पोलिटिकल झगड़ा न बना रह सके और खामख्वाह बेचारे मुलाजमीन को आपकी इन रैंगलिंग्स से जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सैंटर के बीच में चलती हैं उसकी वजह से उन लोगों को तकलीफ न हो।

MR. CHAIRMRN: Now, the hon. Minister will reply, and then members will ask questions......

SHRI BAL RAJ MADHOK: If only the hon. Minister will answer that the policy has been settled that these colonies will be regularised, we have nothing to ask. We only want to know how long it will take to regularise them and what are the difficulties in the way of regularisation. If the Minister can answer this, then we will be satisfied.

SHRI S. KUNDU (Balasore): We only want to know how expenditiously you can regularise this.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kanwar Lal Gupta may also put his question. Then the Minister can reply.

MR. KANWAR LAL GUPTA: Let him reply. Then I will put the question.

MR. CHAIRMAN: He may put his question. Then the Minister will reply.

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इन अनऐथोराइज्ड कालोनीज को रेगुलराइज करने के लिये मास्टर प्लान में तबदीली करने की जरूरत होगी और जाहिर है कि जब तक मास्टर प्लान में तब्दीली नहीं होगी तब तक यह रेगुलराइज नहीं हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जो कि मास्टर प्लान में रेजीडेंशियल ऐरिया नहीं हैं। 68 के करीब बस्तियां ऐसी हैं तो मेरा पहला सवाल यह है कि सरकार मास्टर प्लान को तबदील करने के लिए जहां तक इन कालोनियों का सवाल है वह क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक करेगी?

दूसरा सवाल यह है कि इन में से 66 कालोनियां ऐसी हैं जोकि गवर्नमेंट ने सैक्शन 4 और 6 के मातहत एक्वीजीशन का नोटिस दिया हुआ है और कई जगह वह ऐक्वायर भी हो गई हैं तो क्या सरकार इन कालोनियों को यह जो

[श्री कंवर लाल गुप्त]

सैक्शन 4 और 6 का नोटिस है उसे वह वापिस ले लेगी ताकि कारपोरेशन उनको रेगुलराइज कर सके ?

मेरा आखिरी सवाल यह है कि करीब 125 कालोनियां ऐसी हैं जिनके कि ऊपर बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए अभी तक कारपोरेशन ने 15-20 लाख रुपया खर्च कर दिया है लेकिन उनमें अगर आपने मिनिमम ऐमिनिटीज की प्रोवाइड करनी हैं तो कोई 10 करोड़ रुपया खर्च होगा। कारपोरेशन ने आप से मांग की है कि 3 करोड़ रुपये का रिवोल्विंग फंड गवर्नमेंट आफ़ इंडिया उनको दे ताकि उनमें वह सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें तो सरकार उस दिशा में क्या कर रही है ?

My first question is about the master plan. My second question is about loan to the Corporation to the tune of Rs. 3 crores. My third question is, withdrawing the notices of section 4 and section 6. These are my three questions.

श्री हरदयाल देवगुण (दिल्ली पूर्व): सभापति महोदय, यह विषय दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में आवश्यक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में था लेकिन श्री रणधीर सिंह ने इस सवाल को इस तरह से कहीं बेढंगे पन से उठाया है कि न तो उसका कहीं सिर मालूम पड़ता है और न पैर मालूम पड़ता है। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि यह झुग्गी झोंपड़ी एक अलग चीज है और अनधिकृत बस्तियां यह एक अलग चीज है। लेकिन जैसा मैंने कहा उन्होंने इसका सिर पैर कुछ नहीं छोड़ा। यह अनधिकृत बस्तियों का सवाल है और वहां नागरिक सुविधाओं को देने का सवाल है तो जाहिर है कि उसके रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन मास्टर प्लान की है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार मास्टर प्लान में संशोधन कर सकती है। इसके लिए दिल्ली की जनता, दिल्ली की मैट्रोपोलिटन कौंसिल और नगर निगम ने एक मत से मांग की है कि मास्टर प्लान में संशोधन किया जाये और जब तक उसमें संशोधन होता है उन बस्तियों को मंजूर करने की इजाजत दी जाये और तब तक स्लम क्लिएरेंस ऐक्ट के अनुसार वहां सुविधाएं देने के लिए केन्द्रीय सरकार दिल्ली नगर निगम को रुपये की मदद दे जिससे कि वह यह तमाम सुविधाएं प्रदान कर सके। यह तमाम सुविधाएं दिल्ली नगर निगम उन्हें देने को तैयार है लेकिन जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उसमें केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करे जैसे कि पहले केन्द्रीय सरकार करती रही है। अगर ऐसा अब भी वह करे तो यह तमाम सुविधाएं उन अनधिकृत बस्तियों में प्रदान की जा सकती है। चूंकि केन्द्र ने आर्थिक सहायता देना बंद कर रखा है जितना पहले देता था उतना नहीं देता है इस कारण उसमे दिक्कतें पैदा हुई है। अगर केन्द्र नगर निगम ने जो पैसे की मांग की है वह उसे प्रदान कर दे तो वह यह तमाम सुविधाएं दे सकता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम ने यहां के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए और किन्हीं क्षेत्रों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो आग्रह किया है उसको यह कब तक स्वीकार करेंगे और उन्हें वह आवश्यक आर्थिक सहायता देंगे जिससे यह तमाम सुविधाएं उन अन्य लोगों को प्रदान की जा सकें ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है सिर्फ यह निवेदन करना है कि श्री रणधीर सिंह ने बेकार में इस सवाल में राजनीति को लाकर उलझा दिया है। मैं मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह इस बुनियादी बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो लोग बेचारे उधर से पश्चिमी पंजाब से यहां उजड़ कर आये थे उन्होंने अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार वालों के लिये सिर छिपाने लायक कुछ स्थान बना लिये हैं उनको

कायम रखना चाहिए ? अगर आप इस सिद्धांत से बुनयादी तौर से सहमत हैं तो फिर आपका यह कर्तव्य बन जाता है कि इसको एक सम्मान का प्रश्न न बना कर चाहे वह क्षेत्रीय परिवर्तन की योजना का सवाल हो और चाहे वह मास्टर प्लान का प्रश्न है उसके अन्दर आवश्यक परिवर्तन करके इन लोगों को बसाया जाये और इन लोगों की जो कम से कम मनुष्य मात्र के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं, यह उन तक पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाये। इस सिद्धांत को अगर आप मानते हैं तो उसके लिए आपको आर्थिक सहायता भी देनी पड़ेगी, अपनी योजनाओं में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इस प्रकार के एक हमदर्दाना रवैये से आपको इस समस्या को हल करना पड़ेगा। क्या मंत्री महो-महोदय इसके लिए तैयार हैं ?

SHRI S. KUNDU : Sir, he will agree with me that all the glare and glitter that we see in New Delhi particularly does not represent the people. the common people, the middle-class people of this country. It represents a new class of aristocrats...

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Like Randhir Singh ..

SHRI RANDHIR SINGH : Like Guptas... ...

18 00 hrs.

SHRI S. KUNDU : ...and affluent class which Shri Randhir Singh's party has produced during these twenty years. It is indeed shocking to see what I saw when I first came to Delhi here as a Member of Parliament. I was shocked to see the people coming in hundreds to put up even in the verandah in my quarter.

Somehow I have been able to refuse to these people because Parliament is very strict about it. Government has so far not been able to provide a model of a cheap house. How can a poor man have a house with two rooms and attached bath and latrine for Rs. 2500 or Rs. 3000 ? Government have spent 45 per cent of the total money, Rs. 3000 crores in building huge palaces, skyscrapers and so on and so forth.

My specific question is this. The fate of two lakhs of people, as my hon. friend, Shri Goyal, very ably put it hangs fire. These sturdy people from Punjab built small huts by sheer dint of their strength. At that time, this bureaucratic machinery did not come to their help to guide them how they could come within the Master Plan. Now they do not know whether these will be included in it or will be completely finished.

I want the Minister to give answers to these questions. First, when are they going to finalise the entire thing connected with these so-called unauthorised colonies ? Second—I am afraid the Minister is not noting my questions ; he is looking somewhere else.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : I am listening.

SHRI S. KUNDU : Then let him say what I was asking ..

MR. CHAIRMAN : He is straying away. I call upon the Minister to reply.

SHRI B. S. MURTHY : This question is not for the first time coming before the House. The last discussion on it was on 21 August, 1968 when Shri Kanwar Lal Gupta was pleased to tell the House as to what he is thinking of the problem. The Government, the Corporation, DDA and Metropolitan Council are not unaware of these difficulties As many as a half a dozen meetings were held between different departments and between the representatives of the Corporation and our Ministry. But every time somehow or other a solution has been eluding us. It is because there are 204 unauthorised colonies.

SHRI BALRAJ MADHOK : 104.

SHRI B. S. MURTHY : 204.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Out of these, 103 have been regularised.

SHRI B. S. MURTHY : Out of 204, 103 have been considered as colonies which could be regularised. There are 101 more which do not conform either to the Master Plan or the regulations of DDA or the Municipal Act. So we are now considering as to how best we can help them.

It is not a fact—I straightway deny it—that the Municipal Corporation is not attending to the basic civic needs of these people living in these colonies.

As far as educational, medical, health and sanitary facilities are concerned, all these are being provided.

SHRI BALRAJ MODHOK : They are not being provided today. He may provide them tomorrow. That is very good. But today they are not being provided.

SHRI B. S. MURTHY : They are being provided by the municipal authorities.

Sometime back the Municipal Corporation requested all those persons living in these unauthorised colonies to lend their helping hand in order to provide all the civic facilities necessary.

They said that those plots which had not got lay-outs could have lay-outs from the Corporation, that those who had already built might pay developmental charges. At that time, a few years back, the Corporation estimated that if the collections were made for developmental charges, about Rs. 7½ crores were to be collected from them, but now the rates have gone up and if the developmental charges are to be computed according to the present rate, nearly Rs. 30 to Rs. 35 crores are necessary to provide all civic facilities for these colonies. Therefore, the Corporation and the DDA are trying to persuade these persons to pay the developmental charges, but they are not coming forward.

What type of colonies are these ? They occupied places unauthorisedly, constructed buildings unauthorisedly and there is not even any place left for starting a school or providing a park.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will you provide finance from the revolving fund ? That is the only question.

SHRI B. S. MURTHY : He should understand that these persons purchased these lends very cheap violating the regulations that were in existence, and today when they are called upon to pay, they refuse.

SHRI BALRAJ MADHOK : This is not a fact. They are prepared to pay provided you are prepared to regularise, make some provision in the Master Plan. I can give the guarantee that they are prepared to pay, but are you prepared to regularise ?

SHRI B. S. MURTHY : Of course, that is the one condition that they should not violate the Master Plan.

SHRI BALRAJ MADHOK : But some amendments have to be made in the Master Plan. That is all what we are crying for. Where there is need please make some amendment in the Master Plan so that they can be regularised. That is the least requirement.

SHRI B. S. MURTHY : Last time I assured the House that if there were any proposals from the hon. Members we would consider them and as a matter of fact Mr. Madhok met me once or twice and I assured him of all these things. I do not know why he is asking now.

Therefore, all efforts will be made to give all civic amenities. If the hon. Member can persuade the residents or the occupiers of these unauthorised colonies to cooperate firstly with the Corporation and secondly with the DDA, there will be no difficulty.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : My question is very important

SHRI B. S. MURTHY : As a clever financier he asks me whether Government will finance or not. Any proposal that comes to the Government will be codsidered sympathetically. This is the assurance that I can give.

18.08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 2, 1968/ Agrahayana 11, 1890 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj, Delhi-6.